F 1671

(236)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रूपये

RUPEES

सत्यमेव जयते

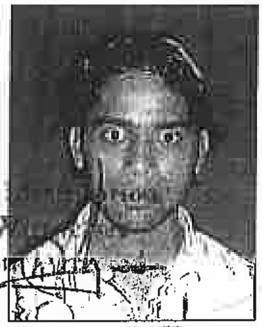

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417472

N. C. ... NOTARY
DADRI-NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 33,80,000/- रूपये।
स्टाम्प अंकन 2,70,500/- रूपये।

<u>विवरण विक्रय सम्पत्तिः-</u> कृषि भूमिधरी के चकबन्दी के आकार पत्र 45 के अनुसार खाता नं0 355 के खेत नं0 27ज रकबा 0.4170 हैक्टेयर लगानी रूपये 09=80 पैसे सालाना सम्पूर्ण अपने मे से रकबा 0.3373 हैक्टेयर भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

Raj Kumar

कोष उप कोषागार
दादरी

07 FEB 2008

स्टाम्प नं० 31 ... 20000/-
स्टाम्प नं० ... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश
R/o कुलतपुर

बैनामा 338000/- फीस रजि० 5000
उजरत 20 जोड़ 5020/- ... 5000
श्री रामचन्द्री
पुत्र श्री चौथ पेशा खेती
निवासी चमरावली बोड़ाकी
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 7/2/08 समय मध्य 1 व 2 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
7/2/08

लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु० 338000/- कुल ...
जिसमें से
नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री

श्री रामचन्द्री ... एवं केवल ...
ने श्री राजकुमार ओमप्रकाश R/o
कुलतपुर ने स्वीकार किया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417473

2

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 35,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट का दोगुना करके तथा उससे भी अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कार्यालय उप [illegible]
[illegible]

07 FEB 2008

स्टाम्प सं. 32 20000

स्टाम्प नं. 31 ... अंकित किया गया

उप रोकड़िया

निष्पादन श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

पेशी

उप निबंधक दादरी
7/2/08

Raj Kumar

सत्यमेव जयते

[illegible] होते है चिह्न
अंगूठे [illegible] लिये गये है

उप निबंधक

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु Rs.20000रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000रु INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417474

3

हम कि रमचन्दी पुत्र चैंटा जाति जाटव निवासी ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील -दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर (विक्रेता, फरीक अव्वल)।

एवम्

राजकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

नि० रमचन्दी

Rajkumar

कार्यालय उप कोषागार

07 FEB 2008

स्टाम्प नं० 33 20,000

स्टाम्प नं० 31

उप कोषाधिकारी

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417475

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चकबन्दी के आकार पत्र 45 के अनुसार खाता नं0 355 के खेत नं0 27ज रकबा 0.4170 हैक्टेयर लगानी रूपये 09=80 पैसे सालाना सम्पूर्ण अपने मे से रकबा 0.3373 हैक्टेयर भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगरजिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक

Raj Kumar

कार्यालय ... कोषागार

07 FEB 2008

स्टाम्प नं0 34 रू0 299.00 मात्र

स्टाम्प नं0 71 में शामिल किया गया

ख्त्रप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

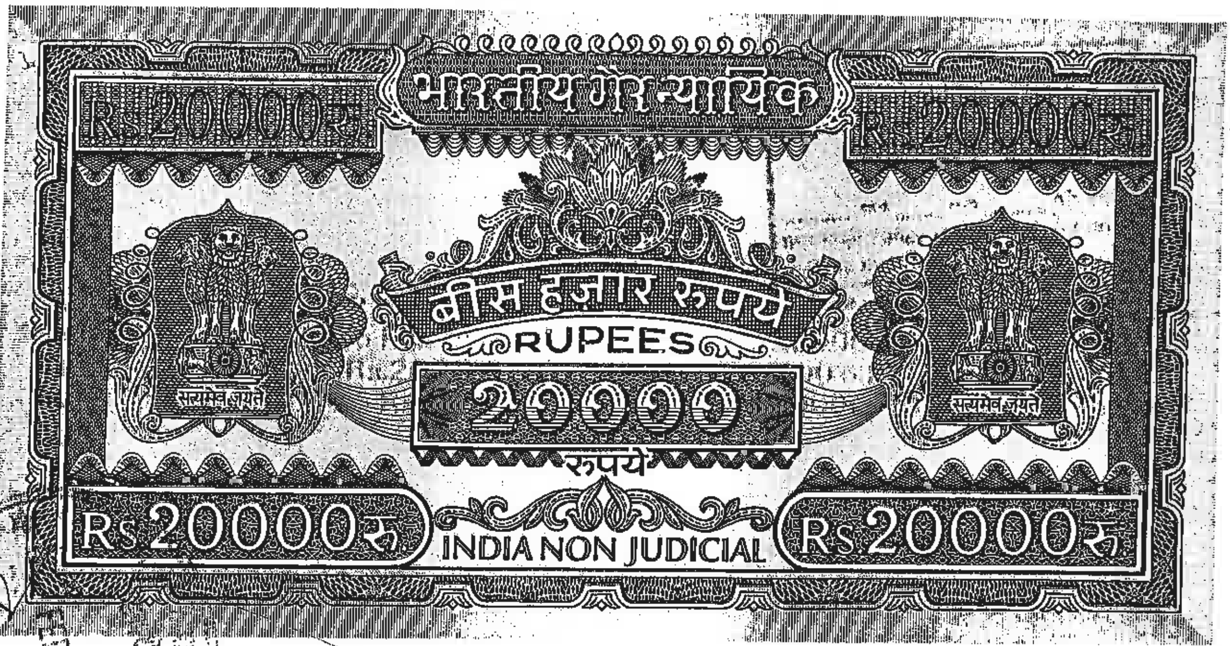

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417476

5

साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के

कार्यालय उप कोषागार
ढकरी

07 FEB 2008

स्टाम्प नं0 35 रु0 20,000 वाला
स्टाम्प नं0 21 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

भारतीय ... उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417477

6

उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 33,80,000/- (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 16,90,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा

निर्मला रमचन्दानी

Rajkumar

कार्या... ...गागार

07 FEB 2008

स्टाम्प सं० 36 ... 29000/-

स्टाम्प न0 31 ... दाखिल किया गया

उप रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417478

7

कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर

Rajkumar

कार्या ... गार

0 7 FEB 2008

स्टाम्प नं॰ 37 20,000/-

स्टाम्प नं॰ 31 ... किया गया

... शाहडिया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417479

8

दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत

Rajkumar

का... ...षागार

07 FEB 2008

स्टाम्प ... 38 20000 ...

स्टाम्प ... 31 ... में शामिल किया गया

... रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417480

9

मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें।

Rajkumar

गागार

07 FEB 2008

39 20,000

31 किया गया

उप रोकड़िया

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417481

10

यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य

क कोषागार
07 FEB 2008
स्टाम्प 40 20,000
स्टाम्प 31 किया गया
उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417482

11

किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान

Rajkumar

आगार

07 FEB 2008

20,000/-

स्टा॰ 41

स्टा॰ 31

गया

रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417483

फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय

07 FEB 2008

स्टाम्प नं० 42 20,000

स्टाम्प नं० 31

क्रया गया

रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417484

13

पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

के० ... ागार

07 FEB 2008

स्टाम्प 43 20,000

स्टाम्प 31 ...कया गया

... रोकड़िया

जनपद न्यायाधीश

उत्तर प्रदेश

जनपद न्यायाधीश

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

FEB 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 743543

14

विवरण धन अदायगी :- अंकन 33,80,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

Rajkumar

क्रम सं० ---- स्टाम्प विक्रय की तिथि ----

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ----

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ----

स्टाम्प की धनराशि ----

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9-- अवधि 31--3--2008

तहसील कम्पाउण्ड बावनी

बिक्री सीमा 15000/--

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 743544

15

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

क्रम सं० 28/27 — स्टाम्प विक्रय की तिथि 7/2/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन — [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता — मंजु कुमार उर्फ [illegible]

स्टाम्प की धनराशि — 5000

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9– अवधि 31-3-2008

[illegible] कम्पाउण्ड [illegible] (उ०प्र०)

बिक्री सीमा 15000/-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

875599

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

निशान अंगूठा

Rajkumar

गवाह - 1 हरिओम

हरिओम S/o ओमप्रकाश

नि० तुगलपुर

गवाह - 2

तारीख 07-02-2008 ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल**, बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1**

राधेश्याम अग्रवाल

बैनामा लेखक ला.न.-1

तहसील-दादरी (गौतमबुद्धनगर)

क्रम सं० 24/22 स्टाम्प विक्रय की तिथि 7/2/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता राजकुमार, उमेत

स्टाम्प की धनराशि 500

अशोक कुमार स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 9- अवधि 31-3-2008

तहसील कम्पाउण्ड दादरी (गौ० बु० नगर)

विक्रय सीमा 15000/-

आज दिनांक 7/2/2008 को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड संख्या 1059 के पृष्ठ 19/50 पर क्रम संख्या 1671 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

दादरी